न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 69/2024 निर्णय दिनांक 23.06.2025
जीसीएमएस नम्बर 2024/154

रामदयाल नैण पुत्र पदमाराम जाति जाट निवासी जैतासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
—वादी—

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भूराजस्व श्रीडूंगरगढ
—प्रतिवादी—

उपस्थितिः—
1. श्री राजूराम बाना अभिभाषक वादीगण।
2. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।

दावा अन्तर्गत धारा 88 आरटीए व 136 एलआर एक्ट

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के सयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 145 तादादी 19.4600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 31 तादादी 8.8700 हैक्टेयर रोही जैतासर में स्थित है वादी के पिता पदमाराम के फौत होने के वाद जब राजस्व रिकार्ड में विरास्तन नामान्तरण दर्ज हुआ तो वादी का नाम रामदयाल नैण की जगह नोरचन्द दर्ज कर दिया जबकि वादी का वास्तविक नाम रामदयाल नैण था वादी का नाम बिना जांच किये ही वादी का नाम नोरचन्द लिख दिया जबकि वादी का नाम रामदयाल नैण दर्ज होना चाहिए था। उक्त खेतों पर वादी का कब्जा—काश्त एंव उपयोग उपभोग चला आ रहा है। वादी ने बैंक से किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने हेतु राजस्व रिकार्ड की नकले निकलवाकर बैंक में आवेदन किया तब बैंक ने राजस्व रिकार्ड के अनुसार वादी से पहचान के सबूत मांगे एवं वादी का नाम सही नही होने से वादी को बैंक ने ऋण देने से इनकार कर दिया वादी के पहचान पत्र राशन कार्ड एवं शिक्षा के दस्तावेज रामदयाल नैण नाम से बने हुए है जिससे बैंक ने किसान क्रेडिट कार्ड बनाने से इनकार कर दिया एवं कहा कि राजस्व रिकार्ड में नाम सही करवाने पर ही लोन दिया जायेगा तब वादी ने प्रतिवादी से राजस्व रिकार्ड में नाम अपने पहचान पत्र के अनुसार करने के लिए निवेदन किया तो प्रतिवादी ने रिकार्ड सही करने से इनकार कर दिया। वादी के पिता की विरास्त की भूमि है जो वादी को विरास्त में प्राप्त हुई है वादी के खेत के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम रामदयाल नैण की जगह नोरचन्द दर्ज कर दिया है जिसको वादी सही करवाने का अधिकारी है। वादी के खेत के राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम के वादी का नाम पहचान के दस्तावेजों के विपरीत होने से कई तरह की परेशानिया आती है एवं वादी अपने खेत पर केसीसी बनाने एवं सरकार की विभिन्न योजनाओ का लाभ उठाने से वचिंत हो रहा है जिससे वादी अपने खेत को विकसित करने से वचित है। वादी अपने के पहचान के सबूत में रामदयाल नैण होने से वादी अपने खेत के राजस्व रिकार्ड में अपना सही नाम रामदयाल नैण दर्ज करवाने का अधिकारी है। वादी ने अपने खेत पर केसीसी के लिये राजस्व रिकार्ड की नकले निकलवाई तो वादी को पता चला कि वादी का नाम नोरचन्द दर्ज है जिसको सही करवाने के लिए प्रतिवादी से सम्पर्क किया तो प्रतिवादी ने नाम सही करने से इनकार कर दिया प्रतिवादी के इन्कार करने के दिन से ही वादी को वाद हेतु हासिल है। वादी ने उक्त दावा में राजस्थान सरकार को पक्षकार संयोजित किया गया है स्टैट के विरूद्ध दावा दायर करने से पूर्व दो माह का नोटिस दिया जाना आवश्यक है स्टैट को दो माह का नोटिस दिया जाकर दो माह का इन्तजार किया जाता है तो केसीसी का सीजनल समय निकल जायेगा और वादी को अपूरणीय क्षति होगी। उक्त दावा में स्टैट के विरूद्ध कोई अपेक्षित अनुतोष नहीं मांगा गया है केवल राजस्व रिकार्ड का संधारण एवं रिकार्ड में संशोधन किया जाता है इसलिए स्टैट को पक्षकार संयोजित किया गया है। यह है कि वादगत खेत रोही जैतासर के घोषणात्मक [illegible] प्राप्त है। वादी के [illegible] पूर्ण न्याय शुल्क एवं समयावधि के क्षेत्राधिकार श्रीमान हाजा न्यायालय को [illegible] अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अतः वादी का दावा स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार [illegible]श फरमानें की कृपा करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.07.16 12:59:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

(क) कि वादी संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 145 तादादी 19.4600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 31 तादादी 8.8700 हैक्टेयर रोही जैतासर में नोरचन्द की जगह रामदयाल नैण घोषित किया जावें

(ख) कि प्रतिवादी को आदेशित किया जावे कि वादी खेत खसरा नम्बर 145 तादादी 19. 4600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 31 तादादी 8.8700 हैक्टेयर रोही जैतासर में नोरचन्द की जगह रामदयाल नैण दर्ज कर राजस्व रिकार्ड में सशोधन करें ।

(ग) कि अन्य कोई न्यायोचित अनुतोष जो हितकर वादी हो अथवा दौराने दावा हितकर वादी हो जावें वह भी आज्ञाप्त फरमाया जावें ।

वादी के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी स्टेट की ओर से पैरोकारराज ने जवाबदावा पेश किया गया। वाद में विवाद्यक बिन्दु नहीं होने के कारण तनकीयात कायम नहीं की गई। वादी की ओर साक्ष्यवादी में रामदयाल का शपथ पत्र पेश किया गया। वादी के बयान लेखबद्ध किये गये। जिरह प्रतिवादी शून्य। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। संक्षेप में स्टेट को वादी वाद स्वीकार करनें में आपति नहीं होने व वादी वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

निर्णय

खेत खसरा नम्बर 145 तादादी 19.4600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 31 तादादी 8.8700 हैक्टेयर रोही जैतासर में वादी का नाम नोरचन्द के स्थान पर रामदयाल नैण घोषित किया जाकर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें। डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 23.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.07.16 12:59:48 IST
Reason: SelfAttested

प्राथमिकडिक्री
मुकदमें इन्तदाई
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री डूँगरगढ

पीठासीन अधिकारी उमा मित्तल आरएएस

उनवान

रामदयाल नैण पुत्र पदमाराम जाति जाट निवासी जैतासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भूराजस्व श्रीडूंगरगढ
दावा बाबत घोषणात्मक, रिकार्ड दुरूस्ती
मुकदमा नम्बर 69/2024
निर्णय दिनांक 23.06.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलास कतई रूबरू अदालत बहाजरी वादी की ओर से राजूराम बाना एवं प्रतिवादी स्टेट की ओर से पैरोकाराराज मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि खेत खसरा नम्बर 145 तादादी 19.4600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 31 तादादी 8.8700 हैक्टेयर रोही जैतासर में वादी का नाम नोरचन्द के स्थान पर रामदयाल नैण घोषित किया जाकर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें।

लीज....0......मुबलिग......0........बाबत......0.........खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह.........0..........फीसदी सालाना आज को जारी..........तारीख वसूलयाबी.......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज दिनांक 23 माह 06 सन् 2025 को जारी किया गया ।

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी,
श्री डूँगरगढ

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प	0	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0	2. अर्जी के लिए स्टाम्प	0
3..प्रदर्शो के लिए स्टाम्प	0	3. प्लीडर की फीस	0
4:........रूपये पर प्लीडर की फीस	0	4.साक्षियों के लिए निर्वाह भत्ता	0
5.साक्षियों के लिए निर्वाह–भत्ता	0	5. आदेशिका की तामिल	0
6.कमिश्नर की फीस	0	6. कमिश्नर की फीस	0
7.आदेशिका की तामिल	0		
योग	0	योग	0

उपखण्ड अधिकारी,
श्री डूँगरगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.07.16 12:59:48 IST
Reason: SelfAttested